न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 136/2019

1 मोहन पुत्र लच्छाराम।
2 गोवन्द पुत्र लच्छाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कांसली तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पन्नालाल पुत्र भुदाराम।
2 मोहन पुत्र भुदाराम।
3 सुखाराम पुत्र भुदाराम।
4 मोहनी पुत्री भुदाराम।
5 जेसाराम पुत्र तिलोका।
6 भागीरथमल पुत्र तिलोका।
7 मदन पुत्र तिलोका।
8 बलबीर पुत्र तिलोका।
9 लच्छी पुत्री तिलोका समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कांसली तहसील धोद जिला सीकर।
10 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद दिनांक 27.09.2019 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती सुशीला चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 15.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2016 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटस ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.93 हैक्टेयर वाके तन कांसली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है जो वादीगण के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है तथा वादीगण ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। विवादित आराजीयात वादीगण के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादीगण के हिस्से में अन्य आराजियात आई हुई है आराजी मुतनाजा पर वादीगण ही सहवन से काबिज है। विवादित आराजियात की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है। जिसका रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट एक ही परिवार के सदस्य है तथा संहवन से उनके खातेदारी में आई हिस्से की भूमियों की खातेदारी सही दर्ज नहीं हुई तथा भूमि खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.93 हैक्टेयर तन कांसली तहसील धोद भूमि अपीलांट्स के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है जिस पर अपीलांट काबिज है बाकी रेस्पोडेंट के हिस्से में दूसरी भूमियां आई हुई है जिसके अलग से दावे व अपील विचाराधीन है। उक्त आराजी अपीलांट के हिस्से में आई हुई है उक्त तथ्य को रेस्पोडेंट ने स्वंय स्वीकार किया है। निर्णय व डिक्री सहमती पर आधारित होने के बावजूद कानूनी प्रावधानो के विपरित निर्णय देकर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सी. जे. सिविल राज. 2019 (1) पेज 450, डी.एन.जे. 2010 एस.सी. पेज 900, डी. एन.जे. 2013 एस.सी. पेज 70, डी.एन.जे. 2011 (3) राज. पेज 1316 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने में आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट व रेस्पोडेंट एक ही परिवार के सदस्य है तथा संहवन से उनके खातेदारी में आई हिस्से की भूमियों की खातेदारी सही दर्ज नहीं हुई तथा भूमि खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.93 हैक्टेयर तन कांसली तहसील धोद भूमि अपीलांट्स के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आई हुई है जिस पर अपीलांट काबिज है बाकी रेस्पोडेंट के हिस्से में दूसरी भूमियां आई हुई है जिसके अलग से दावे व अपील विचाराधीन है। उक्त आराजी अपीलांट के हिस्से में आई हुई है उक्त तथ्य को रेस्पोडेंट ने स्वंय स्वीकार किया है। निर्णय व डिक्री सहमती पर आधारित होने के बावजूद कानूनी प्रावधानो के विपरित निर्णय देकर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सी0जे0 सिविल राज. 2019 (1) पेज 450 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Law of Evidence- Admission of a party in the proceedings either in pleadings or oral is the best evidence, which needs no further corroboration. इसी प्रकार डी.एन.जे. 2013 एस.सी. पेज 70 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Civil Procedure Code, 1908- O. 23, R. 3- compromise- Settlement arrived at between the parties and executed an agreement outside the Court - Agreement taken on record - Held, Judgment is set aside and appeal disposed of in terms of the compromise.

उपरोक्त विवेचन एव न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में उभयपक्ष की सहमती को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.93 हैक्टेयर वाके तन कांसली तहसील धोद जिला सीकर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-12-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर